संघ लोक सेवा आयोग की महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति ।

विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.1997 के निर्णय में निहित दिशानिर्देशों में, नियोक्ता संगठन में एक समुचित शिकायत तंत्र बनाए जाने पर विचार किया गया था, जिसमें पीड़ित महिला द्वारा की गई शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए इसमें निर्धारित संरचना वाली एक शिकायत समिति का गठन शामिल था। मेधा कोटवाल लेले तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 26.4.2004 को पारित आदेश के अनुसार उपर्युक्त शिकायत समिति को, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के उद्देश्य के लिए जांच प्राधिकरण माना जाएगा और इन नियमों के अंतर्गत, इसकी रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा ।

2. दिशानिर्देशों के अनुसार, शिकायत समिति की अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाना चाहिए और इसके सदस्यों में कम से कम आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए । उच्च स्तर से किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव अथवा प्रभाव की संभावना से बचने के लिए, इस प्रकार की शिकायत समिति में तीसरे पक्ष के रूप में या तो किसी गैर सरकारी संगठन या ऐसे निकाय को शामिल किया जाना चाहिए, जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से भलीभांति परिचित हो ।

3. उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग में फिलहाल निम्नलिखित संरचना वाली एक शिकायत समिति मौजूद हैं:-

(क)	सुश्री मनमोहन कौर, निदेशक	-	अध्यक्ष
(ख)	डॉ. मृदुला टंडन	-	बाह्य सदस्य
(ग)	सुश्री मोनिका यादव, अवर सचिव	-	सदस्य-संयोजक
(घ)	श्री जी.सी. साहा, अवर सचिव	-	सदस्य
(ड.)	सुश्री समीक्षा लांबा अवर सचिव	-	सदस्य

4. जहां तक तीसरे पक्ष को शामिल करने का संबंध हैं, शिकायत समिति, डॉ. मृदुला टंडन , का सहयोग लेगी, जिन्हें बाह्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है ।